क्रम संख्या–101 (च)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 25 सितम्बर, 2025 ई0

आश्विन 03, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग–3

संख्या– 1865/X–3–25/01(229)/2016/E-86870

देहरादूनः दिनांकः 25 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प0 आ0–73

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत आदीचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग हेतु हस्तान्तरित 10.350 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ङ बंजर काबिल आबाद/10(4) बंजर नाकाबिल आबाद कुल 20.700 है0 भूमि, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:–

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि (है0)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पिथौरागढ़	सीणी	रिगौनिया	245	06.075	श्रेणी 9(3)ङ बंजर काबिल आबाद
				252	14.625	श्रेणी 10(4) बंजर नाकाबिल आबाद
				योग–	20.700	

2. संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

3. उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

आज्ञा से,

कल्याणी,
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **1865/X-3-25/01(229)/2016-E-86870,** Dehradun dated September 25, 2025 for general information:

File No. 1865/X-3-25/01(229)/2016-E-86870

Dehradun Dated, September 25, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)anga banjar kabil aabad/10(4) banjar nakabil aabad land total 20.70 hectare as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Pithoragarh to the forest department for compensatory plantation against the 10.35 hectare Reserve Forest land transferred repectively for the construction of motor road from **Adichaura to Sinni** in District Pithoragarh, whose area and boundary details are given in the table below.

Table

Sr. No.	District	village	Patti	Khata No.	Area acquired for C.A (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pithoragarh	Sini	Rigonia	245	06.075	Category-9(3)anga banjar kabil aabad
				252	14.625	10(4) banjar nakabil aabad
				Total:-	**20.700**	

Boundary should be demarcated on the field and boundary pillars shall be constructed.

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

By Order,

KALYANI,
Additional Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14/वन पर्या0/472–2025–100+25 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।